अध्याय-III

अध्याय-III

3. लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों और सांविधिक निगम के लेन-देन की नमूना जाँच करने पर पाये जाने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सन्निहित है।

सरकारी कम्पनियाँ

झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

3.1 केन्दु पत्ती की बिक्री में कमियाँ

प्रस्तावना

3.1.1 झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी), झारखण्ड सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम, झारखण्ड राज्य में केन्दु पत्ती[1], जो तम्बाकू लपेटने एवं बीड़ी[2] बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, के संग्रह एवं विपणन करने हेतु झारखण्ड सरकार का एक मात्र अभिकर्ता है। इसके कार्यकलाप का निष्पादन झारखण्ड केन्दु पत्ती (व्यापार-नियत्रंण) नियम, 1972, झारखण्ड केन्दु पत्ती (व्यापार-नियत्रंण) अधिनियम, 1973 एवं इसके अन्तर्गत नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया जाता है।

केन्दु पत्ती की अग्रिम बिक्री शुद्ध एकमुश्त राशि के आधार पर प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह अर्थात केन्दु पत्ती के संग्रहण मौसम शुरू होने से पहले (अप्रैल से जून) में निविदा द्वारा की जाती है। कम्पनी द्वारा केन्दु पत्ती के प्रत्येक लॉट[3] के बिक्री के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं पर अंतिम निर्णय झारखण्ड सरकार द्वारा गठित बिक्रय समिति[4] के द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् कम्पनी के निगमित कार्यालय में किया जाता है। उच्चतम निविदादाताओं के साथ निविदाओं के अंतिमीकरण के पश्चात् दस

---

[1] वानस्पतिक नाम डायसपायरस मेलानाक्सीलन।

[2] विशेषकर गरीब निवासियों के बीच प्रचलित धूम्रपान।

[3] लॉट प्रादेशिक प्रक्षेत्र/अंश प्रादेशिक प्रक्षेत्र होते है, जिसमें क्षेत्र के आकार एवं केन्दु पत्ती की मात्रा के आधार पर एक या एक से अधिक इकाईयाँ सम्मिलित होती हैं।

[4] विक्रय समिति में वित्त विभाग, निगरानी विभाग, वन विभाग एवं कम्पनी के प्रतिनिधि प्रबंध निदेशक सहित सम्मिलित होते है।

दिनों के अन्दर अनुबंध किया जाता है। संग्रहण मौसम में केन्दु पत्ती तोड़ने वाले नई पत्ती संग्रह करते हैं और इनको संग्रहण केन्द्रों पर नियुक्त क्रेता के अधिकृत अभिकर्ता को सुपूर्द कर देते हैं। संग्रहण केन्द्रों पर संग्रहित केन्दु पत्ती की प्राप्ति के बाद, इन पत्तों को सुखाया तथा इन पर पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि ये नरम हो जाए और फिर इन्हें हैसियन बोरों में कस्ती किया जाता है, जो एक मानक बोरा कहलाता है जिसमें 1,000 पोले[5] होते हैं। कस्ती किये गये पत्ती को कम्पनी के या अधिकृत निजी गोदामों में परिवाहित किया जाता है जहाँ ये क्रेता द्वारा भुगतान एवं केन्दु पत्ती के उठाव तक दोहरे ताले प्रणाली में रखे जाते हैं, जिसमें एक ताला निगम का और दूसरा क्रेता का होता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

केन्दु पत्ती के विक्रय से संबंधित अभिलेखों के परीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गयी।

अबिक्रीत केन्दु पत्ती लॉट

3.1.2 अबिक्रीत लॉटों का तात्पर्य उन लॉटों से है जिनके लिए कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई या आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर निविदाएँ प्राप्त हुई और बिक्रय समिति द्वारा उस पर अग्रिम बिक्री के लिए विचार नहीं किया गया। ये अबिक्रीत लॉट, केन्दु पत्ती तोड़ने वालों के द्वारा संग्रहित नहीं किये गये और बिना-तोड़े[6] रह गये तथा बीड़ी बनाने के लिए उपयोगी नहीं थे।

हमने पाया कि कम्पनी ने 2009 से 2013 के मौसम के दौरान औसतन 10 से 15 बार अग्रिम बिक्री के लिए निविदाएँ आमंत्रित की ताकि ज्यादा से ज्यादा लॉट की बिक्री सुनिश्चित हो। लगातार अग्रिम बिक्री निविदाओं के बावजूद कुछ लॉट अबिक्रीत रह गए। मौसम 2009 से 2013 के दौरान बिक्रीत और अबिक्रीत केन्दु पत्ती लॉटों का विवरण ***तालिका-3.1.*** में दिये गये हैं।

---

[5] 50 केन्दु पत्ती के बण्डल को पोला कहा जाता है।

[6] केन्दु पत्ती लॉटों की तोड़ाई/संग्रहण मौसम के अवधि अप्रैल से जून अर्थात वर्षा मौसम से पहले होता है। मौसम में केन्दु पत्ती तोड़ने वाले बिक्रीत लॉटों से केन्दु की नई पत्तियाँ संग्रह करते हैं। मौसम के समाप्ति के पश्चात् पत्तियाँ अधिक परिपक्व हो जाती है। इस प्रकार केन्दु पत्ती के लॉट जो अग्रिम बिक्री निविदा के प्रक्रिया में अबिक्रीत रहते हैं, बिना तोड़े रह जाते हैं।

तालिका - 3.1

मौसम	कुल लॉटों की संख्या	बिक्रीत लॉटों की संख्या	अबिक्रीत लॉटों की संख्या	अबिक्रीत लॉटों की अधिसूचित उपज[7] (मानक बोरे)	अबिक्रीत लॉटों का आरक्षित मुल्य (₹ करोड़ में)
2009	297	237	60	132850	1.62
2010	295	240	55	126650	1.42
2011	298	279	19	34750	0.57
2012	296	290	06	17500	0.25
2013	299	200	99	266675	16.04
कुल	**1485**	**1246**	**239**	**578425**	**19.90**

(स्रोत: आँकड़े बिक्रय प्रतिवेदन से संकलित)

मौसम 2009 से 2013 के दौरान, अबिक्रीत केन्दु पत्ती लॉट 6 से 99 के बीच रहे। इस प्रकार, 239 अबिक्रीत लॉट से संबंधित केन्दु पत्ती के 5,78,425 मानक बोरे बिना तोड़े रह गए। केन्दु पत्ती की बिक्री निगम के आय का मुख्य स्रोत है और यह वन में रहने वाले गरीब एवं ग्रामीणों को भी मौसमी रोजगार प्रदान करता है। एक वाणिज्यिक इकाई होने के नाते कम्पनी को, अन्य वैकल्पिक रास्ते यथा विभागीय संग्रहण[8] जैसा कि तत्कालीन बिहार में उन लॉटों पर जो संबंधित संग्रहण मौसम के मार्च माह तक अग्रिम निविदा बिक्री में अबिक्रीत रह जाते थे, इन लॉट की तोड़ाई के लिये एक अग्रिम कार्य योजना बनाकर किया गया था और निदेशक मंडल के अनुमोदन से आरक्षित मूल्य कम कर तलाश करना चाहिए था जैसा कि झारखण्ड केन्दु पत्ती (व्यापार-नियत्रंण) अधिनियम, 1973 में वर्णित है। हालांकि, इस संबंध में कम्पनी द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

इस प्रकार, 239 लॉट से संबंधित केन्दु पत्ती के 5,78,425 मानक बोरे जिनका आरक्षित मूल्य ₹ 19.90 करोड़ था बिना तोड़े रह गये जिससे कम्पनी एवं राज्य कोषागार को राजस्व से एवं पत्ती तोड़ने वालों को रोजगार से वंचित होना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2013) कि आरक्षित मूल्य में कमी अगले मौसम के बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। सीमित क्रेता आपस में संगठित होकर लॉटों को बेचने के लिए आरक्षित मूल्य कम करेंगे जिससे मूल्य में प्रत्येक वर्ष कमी होगी। विभागीय संग्रह के लिए अतिरिक्त स्थापना और अन्य बुनियादी ढांचे

[7] संबंधित केन्दु पत्ती लॉट का उपज, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 28 नवम्बर 1984 के अनुसार।

[8] विभागीय संग्रह - झारखण्ड गठन के पूर्व वैसे केन्दु पत्ती लॉट जो निलामी द्वारा नहीं बिक पाते थे, कम्पनी के पर्यवेक्षण में केन्दु पत्ती तोड़ने वालों द्वारा संग्रह करवाये जाते थे और सीधे क्रेताओं को बेचे जाते थे।

में अत्यधिक प्रारम्भिक निवेश की आवश्यकता होगी। इस संबंध में, पहले का अनुभव बहुत उत्साह वर्धक नहीं था। प्रबंधन ने आगे कहा कि इस मुद्दे को निदेशक मंडल के बैठक में रखा जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आरक्षित मूल्य तय करना कम्पनी का आंतरिक मामला है। अत: कम आरक्षित मूल्य के आधार पर संघ गठन का प्रश्न ही नहीं उठता। निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धी बोली के कारण क्रेता ऊँची कीमत अर्पण करेंगे ताकि लॉटों की खरीद कर सके। इसके अलावा, झारखण्ड केन्दु पत्ती (व्यापार-नियत्रंण) अधिनियम, 1973 के प्रावधान के अनुसार आरक्षित मूल्य को सक्षम प्राधिकारी के अनुशंसा पर कम किया जा सकता है। अबिक्रीत लॉट के विभागीय संग्रहण के संबंध में कम्पनी ने अपने निगमन के समय से कोई प्रयत्न नहीं किया यद्यपि केन्दु पत्ती का औसत बाजार मूल्य सभी प्रभारों सहित संग्रहण लागत से अधिक था। इसके अलावा कम्पनी ने अपने उत्तर के समर्थन में लगने वाले निवेश और अतिरिक्त स्थापना खर्च का विवरण उपलब्ध नहीं किया था।

दोषपूर्ण धारा के कारण क्रेताओं को अनुचित फायदा

3.1.3 अनुबन्ध के शर्तों तथा बंधेजों के धारा 1 के अनुसार यदि केन्दु पत्ती का परिदान अधिसूचित मात्रा से अधिक[9] किया जाता है तो क्रेता उस अतिरिक्त मात्रा का भुगतान सभी शुल्क एवं करों सहित करेगा। अधिसूचित मात्रा से अधिक प्राप्त केन्दु पत्ती की अतिरिक्त मात्रा के मूल्य की गणना मानक बोरों के औसत बिक्री दर के 50 प्रतिशत प्रति मानक बोरा के आधार पर किया जाएगा।

मौसम 2008 से 2012 के दौरान, 407 बिक्रित लॉटों में 10,55,325 मानक बोरों की अधिसूचित उपज के विरूद्ध, केन्दु पत्ती के 3,04,286 मानक बोरों का अतिरिक्त मात्रा संग्रहित हुआ; इस प्रकार इन लॉटों में कुल सकल संग्रहण 13,59,611 मानक बोरे हुए जो अधिसूचित उपज के 11.15 से 35.94 प्रतिशत तक थे। इन अतिरिक्त संग्रहित केन्दु पत्ती का बिक्रय मूल्य ₹ 15.10 करोड़[10] संगणित किया गया- ***परिशिष्ट - 3.1.***

---

[9] अतिरिक्त संग्रहण को क्रेता द्वारा अनिवार्य रूप से लिया जाएगा।

[10] (एक मुश्त विक्रय मूल्य/अधिसूचित उपज) x प्रत्येक लॉट के अतिरिक्त संग्रहण मानक बोरा में; गणना प्रत्येक लॉट के लिये जहाँ अतिरिक्त संग्रहण दर्ज थे।

क्रेता ने कम्पनी को अनुबंध की धारा के अनुसार संग्रहित पत्तियों के अतिरिक्त मात्रा के लिये संबंधित लॉट के अधिसूचित उपज के औसत मूल्य प्रति मानक बोरा का मात्र 50 प्रतिशत भुगतान किया। जबकि क्रेता उन पत्तियों के अतिरिक्त मात्रा के लिए बीड़ी बनाने वालों से पूरा मूल्य पाया। हमने पुन: अवलोकित किया कि कुल संग्रहण अतिरिक्त मात्रा सहित वन उत्पादकता संस्थान (आई.एफ.पी.), राँची द्वारा आकलित उपज के अन्दर थे।

इस प्रकार अनुबंध के त्रुटिपूर्ण धारा के तहत केन्दु पत्ती के अतिरिक्त संग्रहण पर 50 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाना कम्पनी के वित्तीय हित के लिए हानिकारक है जिसके परिणामस्वरूप क्रेताओं को ₹ 7.55 करोड़ का अनुचित फायदा प्रदान किया गया-***परिशिष्ट - 3.1.***

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2013) कि अधिसूचित उपज के अतिरिक्त संग्रहण को प्रोत्साहित करने वाली वर्तमान नीति जिसके तहत औसत बिक्री दर के 50 प्रतिशत लिया जाता है, क्रेताओं को अधिक पत्ती संग्रह करने को प्रेरित करता है। यह कम्पनी को अतिरिक्त राजस्व देता है, अन्यथा क्रेता लक्ष्य से ज्यादा केन्दु पत्ती संग्रहण में रुचि नहीं लेंगे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त सग्रंह को 50 प्रतिशत दर पर दिया जाना, कम्पनी के वित्तीय हित के लिए हानिकारक है। कम्पनी ने अधिसूचित उपज में संशोधन नहीं किया और केन्दु पत्ती के संभावित उपज का दोहन नहीं किया जैसा वन उत्पादक्ता संस्थान द्वारा आकलित किया गया। अधिसूचित उपज का संशोधन न करने और अपने व्यवस्था का अद्यतन न करने के परिणामस्वरूप क्रेताओं को सहायता पहुँचाया गया। इसके अलावा वन उत्पादक्ता संस्थान के प्रतिवेदन का अंगीकरण दिसम्बर 2010 से लंबित था जिससे अधिसूचित उपज में वृद्धि होती।

अनुबंध के शर्तों का अनुपालन न करने से केन्दु पत्ती के बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव

3.1.4 अनुबंध की धारा 7(बी)(i) के अनुसार, क्रेता को विक्रय मूल्य जमा करने के पश्चात् बिक्रीत पत्तियों को चार बराबर किस्त में उठाने का विकल्प है। इसके अलावा, अनुबंध की धारा 11 के अनुसार, यदि क्रेता नियत तिथि पर किस्त जमा करने में चूक करता है या अनुबंध के किसी अन्य शर्तों के अनुपालन में विफल रहता है तो कम्पनी अनुबंध को रद्द, प्रतिभूति राशि को जब्त और उक्त केन्दु पत्ती के विक्रय के लिए स्टॉक को जब्त और जब्त

स्टॉक की पुन: बिक्री से, यदि कोई हानि हो, तो उसकी वसूली क्रेता से कर सकती है।

हमने पाया कि कम्पनी ने 2011 मौसम में राँची प्रमंडल के खूँटी-ए लॉट को ₹ 25.75 लाख के शुद्ध एकमुश्त मूल्य पर बेचा और क्रेता[11] से अनुबंध किया (फरवरी 2011)। अनुबंध की वैधता मार्च 2012 तक थी और पत्तियों के सारे स्टॉक को अनुबंध की वैधता अवधि के अंदर उठाना था। क्रेता ने मई-जून 2011 में संग्रहित 753.250 मानक बोरा को विभागीय गोदाम में भंडारित किया।

हमने अवलोकित किया कि क्रेता ने अनुबंध के वैधता अवधि के दौरान कोई भी किस्त जमा नहीं किया। क्रेता द्वारा ₹ 3.20 लाख विस्तार शुल्क जमा करके 30 जून 2012 तक की अवधि विस्तार का आवेदन किया गया (अप्रैल 2012) और पुन: 10 अक्टूबर 2012 तक समय विस्तार के लिए आवेदन किया (सितम्बर 2012) जिसे मंजुर नहीं किया गया। अनुबंध की धारा 11 की अनदेखी करते हुए और केन्दु पत्ती के नश्वर प्रकृति को जानते हुए भी कम्पनी द्वारा न तो अनुबंध को रद्द किया गया न ही केन्दु पत्ती को जब्त किया गया। अनुबंध को विलम्ब से दिसम्बर 2012 को रद्द किया गया एवं प्रतिभूति राशि ₹ 9.65 लाख विस्तार शुल्क सहित जब्त किया गया। कम्पनी द्वारा वैधता अवधि के एक वर्ष दो माह गुजर जाने के पश्चात् जब्त स्टॉक के दो वर्ष पुराने होने एवं पत्तियों के नश्वर प्रकृति के कारण नीलामी द्वारा (मई 2013) बेचने का प्रयास साकार नहीं हो पाया परिणामत: ₹ 12.90 लाख की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर, 2013) कि जब्त केन्दु पत्ती को 2013 में बेचने हेतु रखा गया था, कई चक्रों में निविदा के बावजूद कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

उत्तर कम्पनी द्वारा अनुबंध के धारा 11 को अनदेखा करते हुए जब्त केन्दु पत्ती के निष्पादन हेतु समय पर कदम उठाने में असफल रहने की पुष्टि होती है।

3.1.5 अनुबंध की धारा 7(VI) के अनुसार, अनुबंध संपादन के 10 दिनों के अंदर क्रेता को बेचे गए पत्तियों की अधिसूचित मात्रा का अग्नि एवं चोरी बीमा कम्पनी के पक्ष में कराना है और केन्दु पत्ती का परिदान लेने से पहले संबंधित प्रमंडलीय प्रबंधक को बीमा पॉलिसी की मूल या सत्यापित प्रति

[11] प्रसन कुमार सिन्हा

उपलब्ध कराना है। बीमित राशि किसी भी समय देय राशि से कम नहीं होगा और केन्दु पत्ती के अतिरिक्त संग्रहण के स्थिति में क्रेता को उसका बीमा भी अतिरिक्त संग्रहण के 10 दिनों के अंदर कराना है। इसके अलावा, अनुबंध के शर्तों एवं बंधेजों के धारा 32(बी)(iv) के अनुसार, संग्रहण केन्द्र पर परिदान लिए गए केन्दु पत्ती तथा गोदाम में केन्दु पत्ती के स्टॉक की सुरक्षा की जिम्मेदारी कम्पनी के पर्यवेक्षण में क्रेता की थी। इस संबंध में, निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:

3.1.5.1 कम्पनी ने 2011 मौसम के लिए राँची प्रमंडल के सिमडेगा पूर्व-सी लॉट को ₹ 61.11 लाख के शुद्ध एकमुश्त मूल्य पर बेचा और क्रेता[12] के साथ अनुबंध किया (फरवरी 2011)। अनुबंध की वैधता मार्च 2012 तक था और पत्तियों के सारे स्टॉक को वैधता अवधि के अन्दर उठाना था।

क्रेता ने मई-जून 2011 में संग्रह किए गए 2,649.750 मानक बोरों का भंडारण अपने कंसडेगा गोदाम में किया जो सिर्फ अग्नि जोखिम के लिए ही बीमित था। क्रेता ने जनवरी 2012 तक मात्र 662.437 मानक बोरा ही उठाया और शेष मात्रा अनुबंध की समाप्ति के बाद भी गोदाम में पड़ा रहा। केन्दु पत्ती के नश्वर प्रकृति के जानकारी के बावजूद, अनुबंध की धारा 11 की अनदेखी करते हुए कम्पनी ने न तो अनुबंध को रद्द किया न ही केन्दु पत्ती स्टॉक को जब्त किया। यद्यपि, क्रेता ने 10 अक्टूबर 2012 तक अवधि विस्तार का आवेदन दिया, पर कोई विस्तार मंजुर नहीं किया गया। अनुबंध समाप्त किया गया तथा ₹ 15.28 लाख की प्रतिभूति राशि जब्त की गयी (दिसम्बर 2012)। कम्पनी द्वारा अनुबंध की समाप्ति के उपरांत भौतिक सत्यापन कराया गया (फरवरी 2013), जिसमें 1,567.460 मानक बोरा कम पाया गया जिनका मूल्य कर एवं अन्य शुल्कों सहित ₹ 31.94 लाख[13] था जिसके संबंध में न तो कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया न ही अभी तक हानि की कोई वसूली की गई है (जूलाई 2013)। इस प्रकार, चोरी के विरुद्ध बीमा न होने के कारण कम्पनी को ₹ 31.94 लाख की हानि हुई। इसके अलावा, कम्पनी का निलामी द्वारा ₹ 8.55 लाख[14] के जब्त केन्दु पत्ती के बिक्री का प्रयास, केन्दु पत्ती के नश्वर प्रकृति के कारण साकार नहीं हो पाया (मई 2013)। केन्दु पत्ती स्टॉक के जब्ती एवं जब्त स्टॉक की पुनर्बिक्री हेतु

---

[12] प्रसन कुमार सिन्हा

[13] ₹ 40.49 लाख/1,987.313 मानक बोरे*1,567.460 मानक बोरे

[14] ₹ 40.49 लाख/1,987.313 मानक बोरे *419.853 सिमडेगा पूर्व के मानक बोरे = ₹ 8.55लाख

ससमय कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप संभावित राजस्व से बंचित होना पड़ा।

तथ्यों को स्वीकारते हुए प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2013) कि गोदाम मालिक, क्रेता एवं वनोपज ओवरसियर (एफ.पी.ओ.) के विरुद्ध प्राथमिकी (एफ.आइ.आर.) दर्ज करा दी गयी है। एफ.पी.ओ. को निलंबित कर दिया गया है साथ ही उसके और वनोपज निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। क्रेता के विरुद्ध नीलामवाद भी दायर किया गया है तथापि, तथ्य यथावत् है कि राशि की वसूली किया जाना अभी तक बाकी है।

3.1.5.2 इसी प्रकार के मामले में, कम्पनी ने 2012 मौसम में सिमडेगा पूर्व-सी लॉट और सिमडेगा पूर्व-डी लॉट के केन्दु पत्ती को ₹ 72.11 लाख एवं ₹ 91.21 लाख के शुद्ध एकमुश्त मूल्य पर बेचा। क्रेता ने; सिमडेगा पूर्व-सी लॉट के 3,310.050 मानक बोरा एवं सिमडेगा-डी लॉट के 3,770.790 मानक बोरा को गोदाम में भंडारित किया। क्रेता ने इन लॉटों के लिए ₹ 40.83 लाख[15] की प्रतिभूति राशि जमा की।

क्रेता ने लॉटों का कोई भी किस्त देय तिथि पर जमा नहीं किया। इसके बावजूद, कम्पनी अनुबंध के धारा 11 के प्रावधानों के तहत केन्दु पत्ती को जब्त नहीं किया। गोदाम में आग लग गई (28 अक्टूबर 2012) और केन्दु पत्ती का पूरा स्टॉक जिसका मूल्य ₹ 163.32 लाख[16] था जल गया। कम्पनी केन्दु पत्ती स्टॉक के सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा। तथापि, कम्पनी ने इन लॉटों के विरुद्ध बीमा कम्पनी से बीमित राशि की वसूली हेतु दावा किया (नवम्बर 2012) और प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया। बीमादाता द्वारा दावे का निपटारा किया जाना अभी तक बाकी है (नवम्बर 2013)। कम्पनी की अनुबंध के धारा 11 का अनुपालन न कर पाने और केन्दु पत्ती स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने के कारण ₹ 122.49 लाख[17] की हानि वहन करनी पड़ सकती है।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2013) कि बीमा कम्पनी के सर्वेक्षक द्वारा मांगी गई सभी जरुरी सूचना उपलब्ध करा दी गई थी। तथापि, दावे से एक वर्ष बीत जाने के बाद भी हानि की वसूली नहीं हो सकी है। प्रबंधन ने पुन: कहा कि एफ.पी.ओ. को निलंबित कर दिया गया है साथ ही उसके और एफ.पी.आई. के

---

[15] सिमडेगा पूर्व-सी - ₹ 18.03 लाख जोड़ सिमडेगा पूर्व-डी- ₹ 22.80 लाख

[16] सिमडेगा पूर्व-सी - ₹ 72.11 लाख जोड़ सिमडेगा पूर्व-डी-₹ 91.21 लाख

[17] केन्दु पत्ती का मूल्य - ₹ 163.32 लाख घटाव प्रतिभूति राशि-₹ 40.83 लाख = ₹ 122.49 लाख

विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। क्रेता को काली सूची में डालने के साथ उसके विरुद्ध नीलामवाद भी दायर किया गया है।

तथ्य यथावत् है कि अभी तक राशि की वसूली किया जाना है (नवम्बर 2013)।

3.1.5.3 यह भी पाया गया कि सिमडेगा पूर्व-डी में संग्रहित 3,770.790 मानक बोरा केन्दु पत्ती संग्रहण के विरुद्ध केन्दु पत्ती संग्रहकों को ₹ 7.05[18] लाख, मात्र 1,007.12 मानक बोरा का ही मजदूरी भुगतान केन्दु पत्ती के परिदान लेने के समय किया गया। कम्पनी ने अनुबन्ध के धारा 6 के प्रावधान, जिसके अनुसार संग्रहकों को समय पर भुगतान के लिए परिदान लेने के पूर्व क्रेता से पूर्ण संग्रहण लागत लेना था, अनुपालन न करते हुए क्रेता से 2,763.670 मानक बोरों के संग्रहण लागत वसूल नहीं किया, जिसके कारण मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सका। केन्दु पत्ती सुपुर्दगी के सात महीने बीत जाने के बाद यह तथ्य कम्पनी के संज्ञान[19] में आया हालांकि एफ.पी.ओ. एवं एफ.पी.आई. संग्रहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे। प्रबंधन के निष्क्रियता के कारण कम्पनी को ₹ 19.35 लाख[20] के मजदूरी का भुगतान करना पड़ा है और इस हद तक हानि वहन करनी पड़ी।

केन्दु पत्ती के स्टॉक के बीमा में अपर्याप्तता

3.1.6 मौसम 2008-12 के दौरान लघु वनोत्पाद प्रमंडल राँची, हजारीबाग, गिरिडीह तथा डाल्टनगंज के क्रेताओं से संबंधित अभिलेखों तथा बीमा पॉलिसियों के नमूना जाँच में हमने निम्न अपर्याप्ताएँ पाई;

- नमूना जाँच किये गये चार प्रमंडलों में, 910 बिक्रीत लॉटों में से मात्र 880 लॉट ही बीमित थे। इसके अतिरिक्त, इन 880 बीमित लॉटों में से 76 लॉट संबंधित लॉटों के शुद्ध एकमुश्त राशि से कम राशि से बीमित थे। चार मामलों में, बीमा पॉलिसी की मूल प्रति या प्रमाणित प्रति जमा नहीं की गयी थी।
- चोरी के जोखिम के विरुद्ध, राँची तथा डाल्टनगंज प्रमंडलीय कार्यालयों में बीमा नहीं कराया गया था, जैसा कि अनुबंध के शर्तों तथा बंधेजों के तहत अपेक्षित था जबकि गिरिडीह तथा हजारीबाग के 208 तथा

---

[18] 1,007.12 मानक बोरे x ₹ 700 प्रति मानक बोरे = ₹ 7.05 लाख

[19] संसद के स्थानीय सदस्य द्वारा

[20] 2,763.670 मानक बोरे x ₹ 700 प्रति मानक बोरे = ₹ 19.35 लाख

268 बीमित लॉटों में से क्रमश: 203 तथा नौ लॉटें ही चोरी के जोखिम के विरुद्ध बीमित थे।

- हजारीबाग प्रमंण्डल के पाँच मामलों में केन्दु पत्ती को बीमा अवधि के समाप्त होने के 12 दिन से 10 माह के बाद उठाया गया। गिरिडीह, हजारीबाग, डाल्टेनगंज एवं राँची प्रमण्डलों के क्रमश: 43, 33, 15 और 12 लॉटों की बीमा पॉलिसियों की वैधता अनुबंध अवधि से जो संग्रहण वर्ष के बाद के वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होती है, पहले ही समाप्त हो गई।
- मौसम 2009 में प्रतापपुर-ई लॉट के स्टॉक का बीमा केन्दु पत्ती स्टॉक के स्थान पर, खतरनाक पदार्थ से संबंधित दुकान, हथियार और गोला बारूद के सौदागर, मोटर वाहन शोरूम सेवा एवं विक्रय सहित, पेट्रोल एवं डीजल कियोस्क का बीमा कराया गया। बीमित वस्तु का गलत वर्गीकरण किसी दुर्घटना के कारण हुए नुकसान के दावे से वंचित कर सकता है।

इस प्रकार, केन्दु पत्ती के पर्याप्त और उचित बीमा सुनिश्चित करने मे विफलता कम्पनी द्वारा अनुश्रवण में कमी को दर्शाता है। अपर्याप्त या अनुचित बीमा के परिणामस्वरुप राजस्व की हानि तथा धन के बाधित रहने के अलावे अवांछित कानूनी कार्यवाहियों/प्रक्रियाओं में समय तथा संशाधनों की बर्बादी हो सकती है।

तथ्यों की पुष्टि करते हुए प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2013) कि भविष्य में केन्दु पत्ती के स्टॉक को आग और चोरी के जोखिम के विरुद्ध बीमित करने के संबंध में कदम उठाए जाऐंगे। अपर्याप्तता को नोट कर लिया गया है और भविष्य में दोहराया नहीं जाएगा।

सांविधिक निगम

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

3.2 अनुपयुक्त नियोजन की वजह से ₹ 85.23 लाख की निधि का अवरोधन

आवश्यकता का उचित निर्धारण के बिना ए.सी.एस.आर. पैंथर कंडक्टर के क्रय के परिणामस्वरूप ₹ 85.23 लाख की निधि अवरोधित रही जिससे ₹ 53.55 लाख ब्याज की हानि हुई।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) अपने विद्युत वितरण प्रणाली के उन्नयन और विस्तार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक विकास कार्यक्रम (ए.डी.पी.) तैयार करता है। ए.डी.पी. के तहत निर्माण कार्य के लिए सामग्री की मात्रा क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की जाती है और उस मात्रा की सामग्री की खरीदारी के लिए उस वर्ष के सामग्री बजट में शामिल किया जाता है। ए.डी.पी. के तहत प्रस्तावित व्यय अधिकांशत: झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों से होता है।

महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर द्वारा प्रस्तावित तीन 33 के.वी. स्विचिंग उप-केन्द्रों का निर्माण, 44 कि.मी. 33 के.वी. लाइन स्ट्रे विस्तार तथा 14 कि.मी. 33 के.वी. लाइन के पुनर्वास के लिए, 1.8 कि.मी. ए.सी.एस.आर. पैंथर कंडक्टर[21] और 313.60 कि.मी. डॉग कंडक्टर[22] की आवश्यकता का प्रस्ताव झा.रा.वि.बो. मुख्यालय को भेजा गया (जून 2006)। इस संदर्भ में बोर्ड मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर के लिए तीन स्विचिंग उप-केन्द्र, 8 कि.मी. 33 के.वी. लाईन स्ट्रे विस्तार तथा 10 कि.मी. 33 के.वी. लाईन के पुनर्वास को अनुमोदित किया गया। ए.डी.पी. के तहत वर्ष 2006-07 के सामग्री बजट में 150 कि.मी. पैंथर कंडक्टर की क्रय का प्रावधान किया गया जबकि क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर द्वारा केवल 1.8 कि.मी. पैंथर कंडक्टर की आवश्यकता दर्शायी गई थी।

झा.रा.वि.बो. द्वारा प्रस्तावित 151.65 कि.मी.[23] पैंथर कंडक्टर के क्रय के लिए अध्यक्ष, झा.रा.वि.बो. द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (अक्टूबर 2006)। तदनुसार, सामग्री के आपूर्ति के लिए दिसम्बर 2006 में निविदा आमंत्रित की गई। उचित निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करते हुए एनभील केवल्स प्रा. लि. को 147 कि.मी. आई.एस.आई. मार्क पैंथर कंडक्टर आपूर्ति के लिए प्रति कि.मी. ₹ 1,20,044.27 के परिवर्तनशील दर पर क्रय आदेश दिया गया (अप्रैल 2008)। आशय पत्र (एल.ओ.आई.) निर्गत (27 मार्च 2008) करने के 45 दिन के अंदर अर्थात मई 2008 तक सामग्री की आपूर्ति

[21] एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित (ए.सी.एस.आर) पैंथर केबल विद्युत उप-केन्द्रों और 33 के.वी. लाईनों में उपयोग हेतु उच्च विदुयुत प्रवाह वहन क्षमता युक्त कंडक्टर है।

[22] ए.सी.एस.आर डॉग कंडक्टर 33 के.वी. लाईन/11 के.वी. लाईन और एल.टी. लाइनों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है।

[23] ए.डी.पी. के लिए 150 कि.मी. और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 1.65 कि.मी.।

की जानी थी। 147 कि.मी. पैंथर कंडक्टर के क्रय आदेश के आलोक में केवल 85.30 कि.मी. पैंथर कंडक्टर का आपूर्ति प्राप्त किया गया।

हमने पाया (मार्च 2013) कि पैंथर कंडक्टर का क्रय अनुमोदित सामग्री बजट 2007-08 के तहत की गई जिसमें 200 कि.मी. पैंथर कंडक्टर के क्रय का प्रावधान बिना क्षेत्रीय कार्यालयों से नवीन आवश्यकता का आकलन प्राप्त किये तदर्थ आधार पर किया गया था।

पैंथर कंडक्टर की 1.80 कि.मी. के माँग के आलोक में केन्द्रीय भंडार, जमशेदपुर को 22.70 कि.मी. कंडक्टर दिया गया जिसमें से केवल 3.28 कि.मी. पैंथर कंडक्टर का उपयोग किया गया (जुलाई 2013)। शेष[24] पैंथर कंडक्टर को अन्य विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के केन्द्रीय भंडार में बिना उनके माँग पत्र के भेज दिया गया। ए.सी.एस.आर. पैंथर कंडक्टर के 85.30 कि.मी. क्रय मात्रा की तुलना में केवल 20.213 कि.मी. (23.70 प्रतिशत) का उपयोग किया गया तथा शेष 65.087 कि.मी., जिसका मूल्य ₹ 85.23 लाख[25] था, बिना उपयोग के भंडार गृह में पड़ा रहा (जुलाई 2013)।

झा.रा.वि.बो. ने कहा (अगस्त 2013) कि पैंथर कंडक्टर का उपयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर और अन्य क्षेत्रों में न होने के कारण प्रस्तावित स्विचिंग केन्द्र एवं पी.एस.एस. का निर्माण भूमि विवाद और अन्य कारणों से वर्ष 2008-2013 तक समापन नहीं होना था। झा.रा.वि.बो. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2006-07 में पैंथर कंडक्टर की निर्धारित माँग जो केवल 1.8 कि.मी. थी, पैंथर कंडक्टर की कुल क्रय से बहुत कम थी। इसके अलावा, झा.रा.वि.बो. ने वर्ष 2013-14 में ए.डी.पी. के तहत 46 पी.एस.एस. के निर्माण के लिए योजना बनाई है जिसमे केवल 27.60[26] कि.मी. पैंथर कडंक्टर की आवश्यकता होगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2008 से 2012 के दौरान भूमि की उपलब्धता की कमी और अन्य समस्याओं के कारण केवल चार पी.एस.एस. का निर्माण हुआ था, पी.एस.एस. के निर्माण के लिए व्यापक अवधि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, 65.087 कि.मी. पैंथर कंडक्टर के शेष मात्रा का तत्काल उपयोग की कोई संभावना नहीं रही।

---

[24] 62.60 कि.मी. (85.30 कि.मी. - 22.70 कि.मी.)

[25] ₹ 69.78 लाख (53.304 कि.मी.x ₹ 1,30,900 लागत प्रति कि.मी. मूल्य विचलन सहित) + ₹ 15.45 लाख (11.783 कि.मी.x ₹ 1,31,153 लागत प्रति कि.मी. मूल्य विचलन सहित)

[26] प्रत्येक प्रस्तावित पी.एस.एस. में 600 मीटर की आवश्यकता को देखते हुए

अत: झा.रा.वि.बो. द्वारा 65.087 कि.मी. पैंथर कंडक्टर की आवश्यकता से अधिक क्रय पाँच साल तक अनुपयोगी रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 85.23 लाख की निधि अवरोधित हुई। बोर्ड गंभीर वित्तीय बाधाओं से जूझ रहा था और कोष की व्यवस्था मुख्य रूप से झारखण्ड सरकार से प्राप्त ऋण से होती थी। ऐसी स्थिति में बोर्ड को ₹ 53.55[27] लाख का अतिरिक्त परिहार्य ब्याज का बोझ उठाना पड़ा।

मामला सरकार को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 2013)।

3.3 जेनरेटर स्टेटर की मरम्मत पर निरर्थक व्यय

पतरातू थर्मल पॉवर स्टेशन की बंद पड़ी इकाई संख्या-3 के जेनरेटर (स्टेटर और रोटर) की मरम्मत पर ₹ 71 लाख की राशि का निरर्थक व्यय किया जो इस इकाई के प्रस्तावित पुनर्वास के लिए कोष की उपलब्धता को सुनिश्चत किए बिना किया गया था, जिसके फलस्वरूप जेनरेटर स्टेटर का उपयोग नहीं हो सका।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की वित्त एवं लेखा संहिता, जो झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अपनाई गई है, के अनुसार पूँजीगत योजना जिसमें 15 लाख से अधिक का व्यय शामिल होता है उसे राज्य सरकार के पूर्व परामर्श के साथ तैयार किया जाता है। झा.रा.वि.बो प्रत्येक वर्ष उत्पादन से संबंधित योजनाओं के लिए कार्य योजना तैयार करती है जिसके लिए निधि का आयोजन मुख्य रूप से झारखण्ड सरकार द्वारा किया जाता हैं। झा.रा.वि.बो अपनी शीर्ष परिषद् से योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद प्रस्ताव का अनुमोदन और कोष का प्रावधान हेतु झारखण्ड सरकार को भेजती है।

पतरातू थर्मल पॉवर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) का 50 मेगावाट का रूस निर्मित ऊर्जा उत्पादन इकाई संख्या-3, अगस्त 2003 से बंद पड़ी थी। झा.रा.वि.बो ने वर्ष 2007-08 के लिए ₹ 100 करोड़ का उत्पादन कार्य योजना बनाई जिसमें पी.टी.पी.एस. के इकाई संख्या 3 के पुनर्वास के लिए ₹ 25.29 करोड़ शामिल थे। झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2007-08 के बजट परिव्यय में उक्त कार्य योजना के लिए ₹ 100 करोड़ का प्रावधान किया। झा.रा.वि.बो की शीर्ष परिषद् ने इस प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति (अप्रैल 2007) प्रदान की जो झारखण्ड

[27] ₹ 85.23 लाख x13 प्रतिशत x58 महीने/12 = ₹ 53.55

सरकार के अंतिम अनुमोदन पर निर्भर था। झा.रा.वि.बो ने झारखण्ड सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में ₹ 25.29 करोड़ की अनुमानित लागत पर कार्यादेश देने के लिए निविदा आमंत्रित किया (फरवरी 2008)।

झारखण्ड सरकार ने (मार्च 2009) झा.रा.वि.बो के ₹ 100 करोड़ के उत्पादन कार्य योजना को स्वीकृत किया लेकिन कोष का उपयोग सिर्फ पी.टी.पी.एस. के इकाई संख्या 9 और 10 में चल रहे पुनर्वास के लिए करने का निर्देश दिया और इकाई संख्या 3 के लिए इस राशि का उपयोग प्रतिबंधित किया। कोष की अनुपलब्धता की स्थिति में झा.रा.वि.बो ने इकाई के पुनर्वास के लिए व्यापक निविदा (फरवरी 2010) रद्द कर दी। तत्पश्चात् झारखण्ड सरकार ने इकाई संख्या-3 के पुनर्वास को स्थगित कर दिया (फरवरी 2011)।

हमने पाया कि इसी बीच झा.रा.वि.बो. के संयंत्र प्रबंधन ने इकाई संख्या-3 के जेनरेटर (स्टेटर और रोटर) की अलग से मरम्मत का प्रस्ताव रखा (मई 2007) यद्यपि इसका लागत (₹ 2.53 करोड़) इकाई संख्या-3 के पुनर्वास के लिये अनुमानित लागत (₹ 25.29 करोड़) में शामिल था (मार्च 2007)। झा.रा.वि.बो. की शीर्ष परिषद् द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया (दिसम्बर 2007) और ₹ 3.54 करोड़ के तकनीकि प्राक्कलन को स्वीकृति दी गई (मई 2008)।

झा.रा.वि.बो. ने इकाई संख्या-3 के जेनरेटर के स्टेटर और रोटर की मरम्मत के लिये ₹ 2.12 करोड़ (करों एवं शुल्कों को छोड़कर) का कार्यादेश ए.बी.बी. लिमिटेड को टर्न-की आधार पर दिया (जनवरी 2009)। जेनरेटर के रोटर की मरम्मत का पूरा कार्य और स्टेटर का पुन:रोधन का कार्य और स्टेटर के रिवाइंडिंग के लिये सामग्री की आपूर्ति ए.बी.बी. द्वारा अक्टूबर 2009 में पूरा कर लिया गया था।

हालाँकि, इकाई संख्या-3 के स्टेटर का रिवाइंडिंग, स्टेटर और रोटर का संयोजन और संबंधित कार्य को क्रियान्वित किया जाना अभी तक बाकी था। इकाई में जेनरेटर के उपयोग की संभावना नहीं थी इसलिए जेनरेटर स्टेटर की मरम्मत का शेष कार्य नहीं किया गया। मरम्मत के पश्चात् रोटर का उपयोग अक्टूबर 2010 में पी.टी.पी.एस. के रूस निर्मित 50 मेगावाट इकाई संख्या-4 के जेनरेटर में हुआ जो दिसम्बर 2009 से रोटर की विफलता के कारण बंद पड़ी थी।

झा.रा.वि.बो. ने कार्य के पूर्ण समापन से पहले ही रोक दिया (मई 2013) और वास्तविक कार्य के लिए ₹ 1.65 करोड़ (करों और शुल्कों को छोड़कर) का

संशोधित कार्यादेश कम मूल्य पर निर्गत किया। स्टेटर पर किये गए वास्तविक कार्य जिसका मूल्य ₹ 71 लाख था, अबतक अनुपयोगी रहा (मई 2013)। यह उपकरण केवल इकाई संख्या-4 के स्टेटर के ब्रेकडॉउन की स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। इस उपकरण का पी.टी.पी.एस. की अन्य इकाईयों में उपयोग की संभावना क्षीण थी क्योंकि झा.रा.वि.बो. ने रूस निर्मित 50 मेगावाट इकाई संख्या 1, 2 और 3 को तत्काल हटाने का प्रस्ताव दिया था (फरवरी 2011)।

झा.रा.वि.बो. ने कहा (अगस्त 2013) कि इकाई संख्या-3 के जेनरेटर (स्टेटर और रोटर) की मरम्मत के लिए अलग कार्यादेश, इकाई के शीघ्र पुनर्वास के लिए ए.बी.बी. लिमिटेड को दिया गया और कहा कि जेनरेटर स्टेटर का एक अतिरिक्त सेट रखना बेहतर था। इकाई संख्या-4 जो रोटर की विफलता के कारण बंद था उसमें जेनरेटर का मरम्मत किया हुआ रोटर उपयोग कर परिचालन योग्य बनाया गया।

झा.रा.वि.बो. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि झारखण्ड सरकार से प्राप्य कोष की अनिश्चितता के कारण इकाई के व्यापक पुनर्वास का कार्य नहीं सौंपा गया इसलिए इकाई संख्या-3 का यथासमय पुनर्वास संभव नहीं था। इसके अलावा, स्टेटर का एक अतिरिक्त सेट रखने का उत्तर बाद में सोचा गया है क्योंकि कार्यादेश के नियोजन के समय ऐसे कोई विकल्प पर झा.रा.वि.बो. द्वारा विचार नहीं किया गया था।

अत: जेनरेटर (स्टेटर और रोटर) के मरम्मत के लिए कार्यादेश देना, जो इकाई संख्या-3 के पुन:उद्धार योजना जो कोष की अनुपलब्धता के कारण शुरू नहीं किया जा सका, में सम्मिलित था, उचित नहीं था क्योंकि मरम्मत किया हुआ स्टेटर अक्तूबर 2009 से अनुपयोगी बना रहा जिसकी वजह से ₹ 71 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

मामला सरकार को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 2013)।

3.4 दण्ड की गैर-उगाही के कारण हानि

₹ 45.72 लाख के कम विपत्रीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 5.29 लाख के ब्याज की हानि हुई जो उपभोक्ताओं से अनुबंधित मांग की 110 प्रतिशत से अधिक के लिए दण्ड की गैर-वसूली/वसूली में देरी के कारण हुई।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.), ईस्टर्न कोल्फील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.) को, जो एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी है, उच्च विभव पर विद्युत आपूर्ति करता था और रेलवे ट्रेक्शन सर्विसेज (आर.टी.एस.) के माध्यम से रेलवे को विद्युत आपूर्ति किया जा रहा था। हमने पाया कि (जनवरी/मई 2013) देवघर विद्युत आपूर्ति अंचल के अधीन ललमटिया में ई.सी.एल. के एक एच.टी.एस. कनेक्शन में अगस्त 2011 से नवम्बर 2011 तक अधिकतम मांग, अनुबंधित माँग के 110 प्रतिशत से अधिक दर्ज हुआ। इसी तरह, संचरण अंचल, राँची के अधीन रेलवे के तीन आर.टी.एस. कनेक्शन (टोलरा, लोधमा और बकसपुर) की अधिकतम मांग अगस्त 2012 से मार्च 2013 तक उसके अनुबंधित मांग के 110 प्रतिशत से अधिक दर्ज हुई। तथापि, झा.रा.वि.बो. ने टैरिफ आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वास्तविक दर्ज मांग जो अनुबंधित मांग के 110 प्रतिशत से अधिक थी, के लिए दंडात्मक शुल्क लगाए बिना सामान्य दरों पर विपत्र जारी किए। इस प्रकार, दंड शुल्कों के कम विपत्रीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं से कुल ₹ 45.72 लाख की राशि कम प्राप्त हुई।

> झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निर्गत अन्तरिम टैरिफ आदेश जो 1 अगस्त 2011 से प्रभावी था, के अनुसार उच्च विभव वोल्टेज आपूर्ति सेवा (एच.टी.एस.) उपभोक्ता की दर्ज माँग यदि अनुबंध माँग से 110 प्रतिशत से अधिक हो तो अनुबंध माँग के 110 प्रतिशत तक दर्ज माँग के शुल्क का निर्धारण समान्य शुल्क दरों पर किया जायेगा। अनुबन्ध माँग के 110 प्रतिशत से अधिक दर्ज माँग के शुल्क का निर्धारण समान्य शुल्क दरों के 1.5 गुना पर किया जायेगा।

लेखापरीक्षा की आपत्ति के बाद, झा.रा.वि.बो. ने उपरोक्त उपभोक्ताओं पर दण्ड के रूप में ₹ 45.72 लाख की राशि के अनुपूरक विपत्र जारी किए जिसमें तीन आर.टी.एस. उपभोक्ताओं से ₹ 35.06 लाख की वसूली हुई (जूलाई/अगस्त 2013)। हालांकि, ई.सी.एल. से प्राप्त की जाने वाली ₹ 10.66 लाख की दण्ड राशि की वसूली अब तक नहीं हो सकी (अक्टूबर 2013)।

झा.रा.वि.बो. ने इस तथ्य को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) और कहा कि स्मार-पत्र (जूलाई 2013) के बाद भी ई.सी.एल. के द्वारा ₹ 10.66 लाख के दण्ड शुल्क का भुगतान नहीं किया गया।

इस प्रकार, झा.रा.वि.बो. द्वारा टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार दण्ड की वसूली में विफलता के कारण ₹ 10.66 लाख अप्राप्त रहे। फलस्वरुप, दण्ड

शुल्कों की गैर-वसूली/वसूली में देरी के कारण ₹ 5.29[28] लाख राशि के ब्याज का नुकसान उठाना पड़ा।

मामला सरकार को जून 2013 में प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्रतिक्षित थे (दिसम्बर 2013)।

3.5 लाभार्थी राज्यों से प्रस्तावित ऊर्जा परियोजना के खर्च के अंशों का अवसूलीकरण

प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के लाभार्थी राज्यों से ₹ 1.57 करोड़ के खर्चों के अंशों का वसूली न होने के परिणामस्वरूप झा.रा.वि.बो. पर ₹ 1.16 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया (अक्टूबर 2007) कि झारखण्ड में मौर्या कोल ब्लॉक को एक विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था[29] (एस.पी.वी.) को आवंटित करना था जो संयुक्त रूप से झारखंड, बिहार और उत्तरप्रदेश द्वारा बनाया जाना था जिसमें झारखण्ड में स्थापित की जाने वाली ताप विद्युत परियोजना से उत्पादित ऊर्जा के आहरण का अंश क्रमश: 60 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत होना था। बिजली के क्रय के लिए एस.पी.वी. द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली राज्य के वितरण उपयोगिताओं की तरफ से विकासकर्ता के चयन हेतू मंगाई जाएगी। एस.पी.वी. का अधिग्रहण एक चयनित विकासकर्ता द्वारा एस.पी.वी. के सभी लागत का भुगतान करके किया जाएगा।

झा.रा.वि.बो. द्वारा (फरवरी 2008) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी.एफ.सी.) को सलाहकार के रूप में एस.पी.वी. के सृजन के लिए और एस.पी.वी. को जल आवंटन, ईंधन संयोजन में सहायता और सांविधिक मंजूरियाँ जैसे पर्यावरण, वन विभाग की मंजूरी आदि एवं परियोजना के विकासकर्ता के चयन में सहायता और सलाह देना था। परामर्श शुल्क के रूप में ₹ 14 करोड़ (कर अतिरिक्त) देय था। झा.रा.वि.बो. ने कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार अग्रिम के रूप में पी.एफ.सी. को ₹ 3.93 करोड़[30] की राशि का भुगतान किया (फरवरी 2008)।

झा.रा.वि.बो. ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कम्पनी के रूप में एस.पी.वी., कर्णपूरा एनर्जी लिमिटेड (के.ई.एल.) का गठन किया (19 सितम्बर 2008) जो झा.रा.वि.बो. के पूर्ण स्वामित्व की थी एवं जिसके निदेशक मंडल

---

[28] 13 प्रतिशत की ब्याज की दर पर जिस पर झा.रा.वि.बो. झारखण्ड सरकार से ऋण लेती है

[29] एक कानूनी पहचान जो एक समझौते के माध्यम से देश के प्रासंगिक कानून के तहत स्थापित हुआ

[30] ₹ 350 लाख (₹ 1400 लाख का 25 प्रतिशत) + ₹ 43.26 लाख (12.36 प्रतिशत सेवा कर)

में बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि थे। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने के.ई.एल. को हरित क्षेत्र ऊर्जा परियोजना (2x660 मेगावाट) के लिए मौर्या कोल ब्लॉक को आवंटित किया (जून 2009)। उपरोक्त कोल ब्लॉक से उत्पादित कोयले का केवल ऊर्जा परियोजना में उपयोग किया जाना था।

प्रस्तावित ऊर्जा परियोजना, राज्य में उपलब्ध संसाधनों के साथ स्थापित किया जाना था जिससे उत्पादित ऊर्जा को बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साझा किया जाना था। परियोजना से संबंधित व्यय लाभुक राज्यों के बीच ऊर्जा में उनके अंशों के अनुपात में साझा किया जाना था। हालांकि, झा.रा.वि.बो. व्यय के बँटवारे के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ कोई व्यवस्था नहीं किया।

यद्यपि, झा.रा.वि.बो. ने परामर्शी सेवाओं पर खर्च को बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों को साझा किए जाने के लिए सूचित किया, लेकिन खर्च के भुगतान के लिए उन राज्यों के साथ अनुसरण नहीं कर पाई। परिणामस्वरूप, परामर्शी शुल्क के लिए ₹ 3.93 करोड़ के खर्च का अंश के रूप में प्राप्य, बिहार से ₹ 98.25 लाख[31] और उत्तर प्रदेश से ₹ 58.95 लाख[32] प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2013)।

हमने पाया कि झा.रा.वि.बो. द्वारा भुगतान किये गये परामर्श शुल्क ₹ 3.93 करोड़ को के.ई.एल. ने अपने खातों[33] में झा.रा.वि.बो. से प्राप्त ऋणों के रूप में दिखाया। हालांकि खाते में यह नहीं दिखाया गया था कि उक्त ऋण पर कोई ब्याज झा.रा.वि.बो. को देय था और इस प्रकार, चयनित विकासकर्ता द्वारा एस.पी.वी. के अधिग्रहण के पश्चात् झा.रा.वि.बो. को उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

झा.रा.वि.बो. ने कहा (नवम्बर 2013) लाभार्थी राज्यों से खर्च पर उनके अंशों की राशि भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि झा.रा.वि.बो. लाभार्थी राज्यों से ₹ 3.93 करोड़ के परामर्शी शुल्क का अनुपातिक अंश प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया था और लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति उठाने पर भुगतान प्राप्ति हेतु केवल एक ही अनुरोध अक्टूबर 2013 में किया गया था।

---

[31] ₹ 3.93 करोड़ क 25 प्रतिशत

[32] ₹ 3.93 करोड़ क 15 प्रतिशत

[33] 19 सितम्बर 2008 से 30 जून 2009 तक की अवधि के लिए और बाद में लेखांकित अवधियों के लिए

इस प्रकार, लाभार्थी राज्यों के साथ इस परियोजना के लिए खर्च के बंटवारे के लिए कोई भी व्यवस्था करने में और उसकी वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने में झा.रा.वि.बो. की विफलता के कारण ₹ 1.57 करोड़ की राशि अप्राप्त रही। परिणामस्वरूप, झा.रा.वि.बो. को ₹ 1.16 करोड़[34] की राशि का अतिरिक्त ब्याज का भार वहन करना पडा (अक्टूबर 2013)।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2013)।

सामान्य

3.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुगामी कार्यवाही

3.6.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में रखे गए खातों एवं अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ प्रारम्भ की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि कार्यकारी से प्रतिक्रिया तथा उपयुक्त समय में उत्तर प्राप्त करें।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल के पटल पर क्रमशः जुलाई 2009, अगस्त 2010, अगस्त 2011, सितम्बर 2012 एवं जुलाई 2013 में रखे गये थे। 2007-08 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल एवं वाणिज्यिक) और सा.क्षे.उ. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित आठ विभागों के अंतर्गत दस सा.क्षे.उ. से संबंधित 31 कंडिका/समीक्षा में से 30 कंडिका/समीक्षा से संबंधित उत्तर सरकार से 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त नहीं हुए हैं जैसा की ***तालिका - 3.2*** इंगित किया गया है:

तालिका - 3.2

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल कंडिका/समीक्षा	संबंधित विभागों की संख्या	कंडिका/समीक्षा की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2007-08	9	3	8
2008-09	5	2	5
2009-10	7	2	7
2010-11	4	3	4
2011-12	6	8	6
कुल	**31**		**30**

विभागवार विश्लेषण ***परिशिष्ट-3.2*** में दिया गया है।

[34] ₹ 157.20 लाख x 13 प्रतिशत x 68 महीने (मार्च 2008 से अक्तूबर 2013)/12

सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.6.2 वर्ष 2001-02 से 2010-11 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल एवं वाणिज्यिक) और 2011-12 के सा.क्षे.उ. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, 40 कंडिकाएं तथा नौ समीक्षायें सम्मिलित की गयी थी। इनमें से, 30 सितम्बर 2012 तक सात कंडिकाओं तथा तीन समीक्षाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की गयी थी। वर्ष 2001-02 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के तीन कंडिकाओं एवं दो समीक्षाओं के संबंध में कोपू ने अनुशंसाएँ की थी।

कोपू की कार्यचालन प्रणाली नियमावली के अनुसार संबंधित विभागों को कोपू की अनुशंसाओं पर कार्रवाई टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) तीन माह के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालाँकि विभागों द्वारा ए.टी.एन. हमें कोपू द्वारा ए.टी.एन. की चर्चा के समय ही उपलब्ध कराए जाते हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं और समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

3.6.3 लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए तथा तत्काल निस्तारित न हुए लेखापरीक्षा अवलोकनों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य सरकार के संबंधित विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के माध्यम से संसूचित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर चार सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मार्च 2013 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से परिलक्षित होता है कि 386 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 1510 कंडिकाएं सितम्बर 2013 के अंत तक अनिस्तारित रहीं। 30 सितम्बर 2013 के अंत तक विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अवलोकनों का विवरण ***परिशिष्ट-3.3*** में दिया गया है।

इसी प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कंडिका एवं समीक्षा संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव एवं प्रधान सचिव, वित्त को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा छः सप्ताह के अन्दर तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि एवं उन पर उनकी टिप्पणियों की अपेक्षा सहित प्रेषित की जाती है। जून से अगस्त 2013 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रसारित पाँच प्रारूप कंडिकाओं एवं एक समीक्षा प्रतिवेदन में से सरकार ने केवल समीक्षा के उत्तर दिया था (दिसंबर 2013); प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसंबर 2013) जिसका विवरण ***परिशिष्ट-3.4*** में है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि (क) उन कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया अस्तित्व में रहे जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं तथा कोपू की अनुशंसाओं पर कार्यवाही टिप्पणियाँ निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रेषित करने में विफल रहे हैं, (ख) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिम/अधिभुगतान को वसूल करने की कार्यवाही हो और (ग) लेखापरीक्षा अवलोकनों के उत्तर देने की प्रणाली को सुदृढ़ कर दिया गया है।

मृदुला सप्रू

राँची **(मृदुला सप्रू)**

दिनांक : **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**

झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

शशी कान्त शर्मा

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांक : **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**